—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई —— प्रार्थी
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा ——अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 07/05/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शासित होते है। जिसका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है ।

यह कि कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एन.एस.डब्ल्यू के खाता सं. 62/29 के प.नं. 54/346 (32) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 ता 14, 17 ता 24 की कुल 4.7080 हैक्. कमांड अनकमांड मय गै. मु खाला खातेदारी में दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

यह कि कृषि भूमि पीलीबंगा के चक 1 टी के खाता सं. 49/46 के प.नं. 54 /347 (5) के किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24 / 1,25/1 की 5.7550 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी में दर्ज रिकार्ड वाके है

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो अप्रार्थीगण व प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता फौत हो चुके है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी का अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा निहित है प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थी अपने हक हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 ता 5 में वर्णित भूमि सयुक्त खाता की भूमि है। प्रार्थी अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का खाता अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार अप्रार्थीगण से तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 व 2 झडालु किस्म के व्यक्ति है जो कि वादी से आऐ दिन लडाई झगडा करते है तथा अच्छी व उपजाउ व कमाण्ड जमीन पर काबिज होना चाहते ह इसी के चलते अप्रार्थीगण अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि को औने पौने दामो में किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुशकिल होगा व प्रार्थी अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थीगण अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 2 एन.एस. डब्ल्यू के खाता सं. 62/29 के प. नं. 54/346 (32) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 ता 14, 17 ता 24 की कुल 4.7080 हैक्. व तहसील पीलीबंगा के चक 1 टी के खाता सं. 49/46 के प.नं. 54 /347 (5) के किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 की 5.7550 हैक्. कमांड अनकमांड मय गै. मु खाला खातेदारी भूमि मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होने पर एक पक्षिय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया है श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा हाजिर होकर जवाब मय वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 रामप्रताप व अप्रार्थी स. 2 महावीर सिहं की ओर से निम्न प्रकार से हैः— यह कि दफा 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन अस्वीकार है । यह कि दफा 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा खानदान स्वीकार है। यह कि दफा 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि दफा 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।

यह कि दफा 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है उक्त दफा में प्रार्थी द्वारा यह कथन अंकित किये है कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि हो और उक्त कृषि भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो, अस्वीकार है। उक्त दफा में प्रार्थी द्वारा यह कथन भी अस्वीकार है कि प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में अकित की गई है, में प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण का ब. हि.ब हिस्सा निहित हो, और यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी अपने हिस्सा अनुसार शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा हो, इस सम्बंध में यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि ना होकर प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण के पिता सुल्तानराम की स्वंय की आय से खरीदशुदा होने के कारण उनकी स्वयं अर्जित सम्पति थी, प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन एंव कलैक्टर रा.ग.यो सूरतगढ द्वारा जरिये क्रमांक/आवंटन/67 दिनांक 13.02.84 को अन्तर्गत धारा 15 ए.ए.ए (3) आर.टी.ए कि आधार पर प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन की गई थी, जिसकी सनद दिनांक 13.12. 1984 को मिन अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे जारी की थी, इसलिए उपरोक्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण के पिता की स्वयं अर्जित सम्पति होने के कारण उक्त कृषि भूमि का अपने जीवनकाल मे उपयोग, उपभोग व बैचान करने के पूर्ण अधिकार थे। प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण के पिता सुल्तानराम का अपने पुत्र व पोत्रो के साथ विशेष लगावा रहा था, और इसलिए मिन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थीगण के पिता द्वारा अपनी स्वतंत्र ईच्छा, सहमती से रोबरू गवाहान प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 27.01.2021 को उप पंजीयक हेतुमानघाट से पंजीबद्ध करवाई जिसमें उन्होने अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वंय अर्जित कृषि भूमि में से मिन अप्रार्थी स. 2 के पुत्र विकास के पक्ष मे तहसील पीलीबंगा के चक 2 एन.एस. डब्ल्यू के प.न. 54/346 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21/.165, 22/.044 कुल 1.221 हैक्., निष्पादित की व प्रार्थी के पोत्र लक्षय पुत्र सहदेव के पक्ष मे चक 2 एन.एस. डब्ल्यू के प.न. 54/346 के किला न. 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22/.121, 23/.165, 24/.165 कुल 3.487 हैक्. व मिन अप्रार्थी स. 1 के पुत्र घनश्याम के पक्ष मे चक 1 टी के प.न. 54/347 के किला न. 1/1/.164, 2/1/.164, 3/1/.164, 8 ता 10, 12/.122, 13 की कुल 1.626 हैक्. व मिन अप्रार्थी स. 1 की पुत्रवधु रीटा पत्नीं घनश्याम के पक्ष मे चक 1 टी के प.न. 54/347 के किला न. 4/1/.164, 5/1/.164, 6, 7, 14, 15 की कुल 1.340 हैक्. व मिन अप्रार्थी स. 1 के पक्ष मे चक 1 टी के प.न. 54/347 के किला न. 11, 12/.131, 16/.138 की कुल .522 हैक्. व मिन अप्रार्थी स. 2 के पुत्र चिरांशू के पक्ष में चक 1 टी के प.न. 54/347 के किला न. 16/.115, 17 ता 20, 21/1/.228, 22/1/.228, 23/1/.228, 24/1/.228, 25/.228 की कुल 2.267 हैक्. जरिय वसीयत कृषि भूमि प्रदान की और मिन अप्रार्थीगण के पिता का दिनांक 06.04.2023 को देहांत हो चुका है, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा स्वय अर्जित सम्पति के सम्बंध में निषपादित वसीयत दिनांक 27.01.2021 मे वर्णित कृषि भूमि के आधार पर प्रार्थी का पौत्र, मिन अप्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण के परिजन काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, और मुताबिक वसीयत घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है व राजस्व रिकार्ड में अपने नाम कृषि भूमि का अंकन करवाने व खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

यह कि दफा 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध मे कोई अधिकार प्राप्त नही है, और ना ही प्रार्थी किसी प्रकार की घोषणा व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है, प्रार्थी को उक्त वसीयत की जानकारी आरंभ से ही रही है लेकिन उसके पश्चात भी प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यो के आधार पर हस्तगत प्रकरण माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया काबिले खारिज है।

यह कि दफा 7 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी, मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या आक्षेप लगाते हुए हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है, प्रार्थी, मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है ।

यह कि दफा 8 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व मनगंढत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई प्रार्थना कारण हासिल नही है। प्रार्थना प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 कानूनी है यह कि दफा 10 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कानूनी है, प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में चाहे गये अनुतोष (क) से (ड) प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं, एंव प्रार्थना प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र, प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा रिकार्डिड खातेदार प्रार्थी–अप्रार्थीगण के पिता है जो कि फौत हो चुके है। प्रार्थी के हक हिस्सों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं तनकीयात के आधार पर प्रार्थीया को अपना वाद साबित करना है। मृत्क व्यक्ति रिकार्डिड खातेदार होने के कारण प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वर्णित वाद भूमि प्रार्थी एवं

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थीगण की पैतृक संपति के सम्बंध में निर्णय वाद पत्र में किया जाना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला विरूद्व प्रार्थी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन** :–अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी ने राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 रिकार्डिड खातेदार जो कि मृत्क व्यक्ति है जिससे प्रार्थी को उपयोग–उपभोग में असुविधा जैसी स्थिति प्रकट नहीं होती है अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी विरूद्व प्रार्थी साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। रिकार्ड में खातेदार व्यक्ति फौत होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त रकबा रहन बैय जैसी स्थिति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण मय अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनाकं 07/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उम्मा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा